

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

Established by an act of Rajasthan Legislative Assembly and Recognized by UGC, NCTE and AIU



शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) पाठ्यक्रम

सत्र : 2025-26

(दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा द्विवर्षीय कार्यक्रम)

प्रवेश काउन्सलिंग निर्देशिका

Toll Free: 1800 – 180 – 6166

Phone: 0744-2797000, Fax No.:07442472525

E-mail: soe@vmou.ac.in, info@vmou.ac.in

Website: www.vmou.ac.in

स्नातक शिक्षा (बी.एड.) संबंधी मान्यता आदेश

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC-NCTE), जयपुर से मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु NRC-NCTE, जयपुर ने मान्यता आदेश संख्या : F-3/RJ-22/ B.Ed. (D.E)/2000/9745 के तहत दिनांक 21.8.2000 को स्थायी मान्यता आदेश जारी किया। तथा यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.No.6-7/2018(DEB-III) दिनांक 18.10.2018 द्वारा मान्यता को जारी रखा है। इस पाठ्यक्रम में कुल सीटों की संख्या 500 है।

काउन्सलिंग की तिथि और समय:

10 मार्च, 2025-9.30 AM 4.30 PM

11 मार्च, 2025-9.30 AM 4.30 PM

12 मार्च, 2025-9.30 AM 4.30 PM

काउन्सलिंग के समय आवेदक को निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो कॉपी लाने होंगे।

नोट: विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार न., ABC ID, Email ID व अन्य सभी घटकों का मिलान DEB ID से अवश्य कर लें। यदि यह सही नहीं पाई जाती तो प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

1. माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र (जन्म तिथि एवं नाम को जाँचने हेतु)
2. सीनियर सेकंडरी या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र
3. बी.एस.टी.सी. (BSTC)/डी.एल.एड. (D.El.Ed.)/ इत्यादि समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो नियमित रीति से किया हो तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ हो। दोनों वर्षों की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जिसमें Regular लिखा हुआ हो। अन्यथा जिस संस्थान से आपने उक्त पाठ्यक्रम किया है वहां से Regular का प्रमाण पत्र लाये।

नोट- वे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान राज्य के बाहर अथवा जम्मू एवं कश्मीर से नियमित रूप से बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. या समकक्ष द्विवर्षीय प्राइमरी शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो पूर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी अपना राज्य सरकार में नियुक्ति पत्र एवं ज्वाइनिंग पत्र भी काउन्सलिंग के समय साथ में लेकर आये। और यदि वे गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हों तो बी.एस.टी.सी./डी.एल.एड. जिस संस्थान से किया है उसका इस पाठ्यक्रम के लिये जारी NCTE का मान्यता प्रमाण पत्र साथ में लेकर आये। यदि किसी अभ्यर्थी के (B.S.T.C.)/डी.एल.एड. (D.El.Ed.) की अंकतालिका प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र और परिणाम घोषणा की तिथि में 2-3 माह से ज्यादा का अन्तर हो तो प्रार्थी इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का नियमित रीति से पूर्ण करने का शिक्षण सत्र क्या है? ऐसा विद्यार्थी अपनी संस्थान से जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखवा कर प्राप्त करे। तभी प्रवेश आवेदन पत्र भरे। इस मूल प्रमाण पत्र को काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करे।

4. बी.ए./बी.कॉम बी.एस सी (BA/BCom/B.Sc.) तीनो वर्षों की पृथक / बी.टेक (B.Tech) चारो वर्षों की पृथक अंकतालिका व प्रमाण पत्र
5. एम.ए/एम. कॉम / एम. एस सी (MA/MCom/M.Sc) दोनों वर्षों की अंकतालिका व प्रमाण पत्र

नोट: यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री दूस्थ शिक्षा माध्यम से किसी ऐसे राजकीय/गैर राजकीय/डीम्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है जो खुला विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि ऐसे विश्वविद्यालयों को नियमित रीति से अथवा स्वयंपाठी विद्यार्थियों को अध्ययन कराके डिग्री प्रदान करने की यूजीसी से मान्यता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपनी अंकतालिका एवं डिग्री के साथ उक्त विश्वविद्यालय को Dual Mode से (नियमित के साथ वृस्थ शिक्षा पद्धति) मान्यता किस वर्ष से किस वर्ष तक की है, इसका प्रमाण काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त मान्यता के अभाव में विद्यार्थी को काउन्सलिंग के समय प्रवेश से रोका जा सकता है।

नोट: किन विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक तालिका में CGPA ग्रेड मिला है वह अपने विश्वविद्यालय से उस ग्रेड को प्रतिशत में बदलवा कर प्रेषित करें तथा एस आशय का प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें।

6. निर्धारित प्रारूप में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र।
7. निर्धारित प्रारूप में योषणा पत्र।
8. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (Non-Creamy layer)/एस.बी.सी. अथवा एम.बी.सी (Non-Creamy layer) / एस.टी. (अनुसूचित क्षेत्र), विधवा/परित्यक्ता/शारीरिक रूप से विकलांग / सैनिक /आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) सम्बंधित प्रमाण पत्र।

- जाति प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत होने चाहिए। यदि जाति प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) एक वर्ष से ज्यादा पुराना है व प्रार्थी Non Creamy Layer में आता है इस आशय का भरा हुआ शपथ पत्र भी अपलोड करे। यह शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात इन बी एड.कार्यक्रम में प्रवेश सत्र जनवरी 2025 में प्रवेश के लिए ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2022 या इसके पश्चात का होना चाहिए। यदि ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2024 या इसके पश्चात का है तो जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत होगी। यदि ओ.बी.सी./एस.बी.सी./एम.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2022 या इसके पश्चात का है परन्तु 31 दिसम्बर 2023 या इसके पूर्व का है तो जाति प्रमाण पत्रकी स्वप्रमाणित प्रति व शपथ पत्र प्रति प्रस्तुत होगी। यहाँ ओ.बी.सी./एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी हेतु शपथ पत्र प्रारूप बी एड प्रवेश कार्यक्रम दर्शिका में उपलब्ध है। राजस्थान राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) Non Creamy Layer के अभाव में प्रार्थी को इस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जाएगा।
 - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत होने चाहिए। EWS का प्रमाण पत्र एक वर्ष से ज्यादा पुराना है तो इस आशय का भरा हुआ शपथ पत्र भी अपलोड करे। यह शपथ पत्र EWS प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात इन बी एड कार्यक्रम में प्रवेश सत्र जनवरी 2025 में प्रवेश के लिए EWS का प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2022 या इसके पश्चात का होना चाहिए। यदि EWS प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2024 या इसके पश्चात का है तो EWS प्रमाण पत्रकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे। यदि EWS प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2022 या इसके पश्चात का है परन्तु 31 दिसम्बर 2023 या इसके पूर्व का है तो EWS प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति व शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत करे। EWS श्रेणी हेतु शपथ पत्र प्रारूप बी एड प्रवेश कार्यक्रम दर्शिका में उपलब्ध है। राजस्थान राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में इस आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
9. तलाकशुदा महिला प्रमाण पत्र (न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)/विधवा आवेदकों (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका से हस्ताक्षरित)
 10. विधवा संवर्ग के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
नोट: विधवा एवं परित्यक्ता संवर्ग की महिलाएं इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, जिसमें यह उल्लेख हो कि मैं अभी भी विधवा/परित्यक्ता हूँ। मैंने पुनः विवाह नहीं किया है।
 11. यदि काउन्सलिंग में आप द्वारा प्रस्तुत किया गये सभी दस्तावेज सत्य व वैध पाया गये तो पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में आपको रु. 28,880/- (प्रथम वर्ष शुल्क) ऑनलाइन के माध्यम से उसी दिन जमा कराना होगा।
 12. राजस्थान राज्य से बाहर के स्थानों पर सेवारत अध्यापकों के लिए 100/— रूपये के स्टाम्प पर नोटरी युक्त शपथ पत्र। (प्रारूप संलग्न)
 13. रक्षा कर्मी के लिए प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न)
 14. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए आवश्यक)
नोट: आवेदक प्रयास करे कि प्रथम वर्ष फीस (28,228/-) जिस दिन काउन्सलिंग उसी दिन जमा करा दे, जिससे उसकी सीट समय रहते कन्फर्म की जा सके। यह फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा कराइ जाएगी। आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद वेबसाइट पर लिंक आएगा, जिस पर जाकर आपको अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं।

अन्य सामान्य निर्देश

1. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण अनुभव का निर्धारण संवैधानिक निकाय एन.सी.टी.ई. ,नई दिल्ली द्वारा किया जाता है जो कि समय-समय पर बदली जा सकती है। जो सभी के लिए बाध्यकारी है विश्वविद्यालय की इस स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके उच्चाधिकारी किसी भी कारण से इस पाठ्यक्रम को करने की अनुमति नहीं देते हैं तो इस हेतु विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि गलत प्रमाण पत्र पाए जाने की स्थिति में वह किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी समय प्रवेश निरस्त कर सकता है।
3. अभ्यर्थी ने जो जानकारी बी.एड प्रवेश आवेदन फार्म में भरी होगी वही अंतिम रूप से वरीयता सूची जारी करने हेतु मान्य होगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी व योग्यता तथा अन्य सभी भरी हुई जानकारियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। श्रेणी, योग्यता, अनुभव इत्यादि सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच काउन्सलिंग के दौरान की जायेगी। उस दौरान कोई कमी पायी गयी तो अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा कर प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

विद्यार्थी के क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र का आवंटन

अभ्यर्थी के अध्ययन केन्द्र का निर्धारण बी.एड. प्रवेश वरीयता सूची में स्थान के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र संभाग स्तर पर है इन्हीं में 10 से अध्ययन केन्द्रों स्थित है।

1. अजमेर
2. बीकानेर
3. जयपुर
4. जोधपुर
5. कोटा
6. उदयपुर
7. भरतपुर

प्रवेश आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपनी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 अंकों से चिन्हित किया है। बी.एड. प्रवेश वरीयता सूची में स्थान के आधार पर आपको अध्ययन केन्द्र का आवंटन किया जाएगा। चूंकि NCTE मानदण्डानुसार प्रति अध्ययन केन्द्र 50 सीट निर्धारित है। अतः विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी अध्ययन केन्द्र दे सकता है। इस अध्ययन केन्द्र का आवंटन मेरिट के आधार पर होगा। आप द्वारा मांगा गया क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र आपका अधिकार नहीं है। यह विश्वविद्यालय द्वारा आपको प्रदान की गई सुविधा है। अतः इसमें परिवर्तन का एकाधिकार विश्वविद्यालयके पास सुरक्षित है। यद्यपि आप द्वारा अंकित प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन/क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित करने का विश्वविद्यालय प्रयत्न करेगा। यदि ऐसा संभव न हुआ तो विश्वविद्यालय को केन्द्र आवंटन का अधिकार होगा, वह अंतिम निर्णय होगा। जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जायेगा।

क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालयके राजस्थान के सात क्षेत्रीय केन्द्र हैं जिनके अंतर्गत वर्तमान में बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दस अध्ययन केन्द्र हैं। अध्ययन केन्द्रों की सूची निम्नवत है:-

क्षेत्रीय केन्द्र	क्षेत्रीय केंद्र कोड	बी.एड.अध्ययन केंद्र	अध्ययन केंद्र कोड
अजमेर	1	हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान हट्टूडी, अजमेर	1040
बीकानेर	2	राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	2024
जयपुर	3	एस.एस.जी.पारीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर	3096
जयपुर	3	एस.एस. जैन सुबोध महिला टी.टी. कॉलेज, जयपुर	3097

जयपुर	3	ईश्वरम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, जयपुर	3145
जोधपुर	4	श्री महालक्ष्मी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रताप नगर, जोधपुर	4062
जोधपुर	4	श्री आर.एन.मेमोरियल महिला टी.टी. कॉलेज, जोधपुर	4034
कोटा	5	जवाहर लाल नेहरू पी.जी.टी.टी.कॉलेज, कोटा	5046
उदयपुर	6	राजस्थान महिला टी.टी. कॉलेज, उदयपुर	6054
भरतपुर	7	महाराजा सूरजमल टी.टी. कॉलेज, भरतपुर	7003

नोट: आपके द्वारा प्रवेश आवेदन में भरा गया अध्ययन केंद्र विकल्प/प्राथमिकता उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आता है, जहां आपको प्रवेश काउन्सलिंग के लिए रिपोर्टिंग करनी होगी।

आवेदक द्वारा प्रवेश काउन्सलिंग के समय लगाए जाने वाले प्रमाण पत्र इस निर्देशिका में संलग्न हैं। आपके द्वारा लगाए गए सभी दस्तावेजों के साथ एन प्रमाण पत्रों का भी लगाया जाना अनिवार्य है

शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती -----

पुत्र श्री/पुत्री श्री ----- विद्यालय का नाम -----
----- में दिनांक ----- से लगातार वर्तमान में
प्राइमरी शिक्षक (सहायक अध्यापक) पद पर स्थायी/ अस्थायी /परिविक्षा पर कार्यरत हैं। जो विद्यालय में कक्षा 1
से 5 / कक्षा 1 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं। ये वेतन श्रृंखला ----- में कुल मासिक
वेतन रूपये ----- प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय रूपये ----- प्राप्त कर रहे
हैं/करेंगे।

**निम्नलिखित में से जो भी आपकी संस्था पर लागू हो उसके सामने (✓) सही का निशान
लगायें) एवं आवश्यक जानकारी भरो**

1. यह विद्यालय राजकीय विद्यालय है जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। ()
अथवा
2. यह विद्यालय गैर राजकीय विद्यालय है जो राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ()
मान्यता प्राप्ति का वर्ष क्रमांक-----, -----, -----, दिनांक-----
में प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ की उपर्युक्त विवरण सही है।

जि.शि.अ.कार्यालय जावक क्रमांक: -----

दिनांक: -----

प्रतिहस्ताक्षर *
जिला शिक्षाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी (मय सील)
(पूरा नाम)

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान (मय सील)
(पूरा नाम)

* राजस्थान राज्य के गैर राजकीय विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के राजकीय अथवा गैर राजकीय दोनों प्रकार
के विद्यालयों के अभ्यर्थी प्रति हस्ताक्षर करवायें, वे अभ्यर्थी जो स्वयं संस्था प्रधान हैं वे अपने उच्च अधिकारी से प्रति
हस्ताक्षर करवायें।

नोट -

1. आवेदनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रवेश फार्म भरते समय एवं काउन्सलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो। तथा पूरी बी.एड. के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय को जो भी सूचना चाहिए वो प्रारूप में दी गई है। यदि संलग्न प्रारूप में ही हस्ताक्षर नहीं हुए तो विश्वविद्यालय शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को अनुपयुक्तमान कर अस्वीकार कर सकता है।
3. विवाहित महिला अभ्यर्थी का विवाह के पश्चात नाम/सर नेम बदला हो तो काउन्सलिंग के समय गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करें अथवा राज्य सरकार में यदि आपके बदले हुए नाम से नियुक्ति हुई हो तो वह नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करें।
4. अभ्यर्थी इस अनुभव प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें तथा प्री. बी.एड. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रवेश काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करें। अनुभव प्रमाण पत्र मूल हस्ताक्षर किया हुआ ही प्रस्तुत करें। तथा काउन्सलिंग के समय नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर भी लायें।
5. यदि एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हो तो और आप चाहे तो उन सबके अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न करें। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रारूप की पंक्ति संख्या 3 में "लगातार" शब्द के स्थान पर विद्यालय छोड़ने की दिनांक भी लिखें।
6. शिक्षक जो स्वयं विद्यालय प्रधान हैं, वे अपने उच्च अधिकारी से शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करें।



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (शिक्षा विद्यापीठ)

घोषणा पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री केटेगरी
..... वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेशार्थी हूँ। मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु दी गयी सूचनाएं एवं दस्तावेज मेरी जप्तकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं। मेरे द्वारा बनाई गई DEB ID यदि दस्तावेजों के अनुरूप सही नहीं पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहेगा। प्रवेश के समय या प्रवेश के बाद किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि बी.एड. में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी गयी है या कोई गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए एवं फीस जब्त कर ली जाय। इस संदर्भ में सारी जवाबदेही मेरी होगी। बी.एड. से संबंधित विश्वविद्यालय एवं NCTE द्वारा निर्धारित किए गए सभी नियम मान्य होंगे।

भवदीय

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर)

बी.एड. प्रवेश आवेदन नंबर

पता.....

.....

.....

मोबाईल नम्बर.....

राजस्थान राज्य से बाहर के राज्यों में अध्यापन कर रहे आवेदकों के लिये शपथ पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
उम्र.....निवासी.....शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान जिसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य में ही सीमित है, के बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेकर इसकी निम्नलिखित गतिविधियों को राजस्थान राज्य में पूरा करूंगा

1. राजस्थान राज्य स्थित व. म. खु.वि., कोटा के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में से किसी भी एक क्षेत्रीय केन्द्र एवं उसके अन्तर्गत आने वाले एक अध्ययन केन्द्र का चयन।
2. उसी अध्ययन केन्द्र पर प्रतिवर्ष होने वाली परामर्श कक्षाओं, सम्पर्क शिविर में भाग लेना।
3. 6 माह का इन्टर्नशीप जिसके अन्तर्गत विद्यालयी गतिविधियों दोनों शिक्षण विषयों की प्रेक्टिस टीचिंग उसी क्षेत्रीय केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले किसी राजकीय विद्यालय में पूरी करूंगा। उस राजकीय विद्यालय की स्वीकृति भी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय केन्द्र आवंटित होते ही 7 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा।
4. सभी सत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य राजस्थान के ही विद्यालयों में सम्पन्न करूंगा।
5. प्रतिवर्ष होने वाली सैद्धान्तिक वार्षिक परीक्षा राजस्थान राज्य स्थित परीक्षा केन्द्र पर दूंगा।
6. बी.एड. के लिए होने वाली कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा फाइनल लेसन भी राजस्थान राज्य स्थित विद्यालय में ही दूंगा।

उपरोक्त के साथ साथ अन्य कोई भी बी.एड. संबंधित गतिविधि जो किसी भी समय निर्धारित होती है मैं समय पर उसे राजस्थान राज्य में ही पूरा करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वि'वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने एवं फीस जब्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

नाम

बी.एड.प्रवेश परीक्षा रोल नंबर

मोबाईल

पता

.....

नोट :— उक्त शपथ पत्र 100/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर प्रस्तुत करें।

प्रतिरक्षा कर्मचारी स्वयं के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाण पत्र

क्रमांक:

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती एक प्रतिरक्षा कर्मचारी/अधिकारी है जिनका रैंक है तथा नम्बर है जो कि सक्रिय सेवारत हैं अथवा सक्रिय सेवारत थे अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

यूनिट मेजर/आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर
अधिकारी का पूरा नाम

शपथ पत्र
(OBC/SBC/MBC अभ्यर्थी द्वारा घोषणा)
(Non Creamy Layer)

मैंपुत्र /पुत्री श्री

निवासी गाँव /शहरतहसील

जिला राजस्थान का /की हू। मैं शपथ पूर्वक बयान करता /करती हू कि मैं राज्य सरकार के नियमानुसार राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित वर्ग OBC/SBC/MBC का /की हू व राज्य सरकार नियमानुसार राजस्थान के पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत OBC/SBC/MBC हेतु Non Creamy Layer (NCL) श्रेणी हेतु मुझे कार्यालय.....जिला.....

OBC/SBC/MBC (NCL) प्रमाण पत्र क्रमांक

दिनांकजारी किया हुआ है। मैं घोषणा करता /करती हू कि मैं अभी भी राज्य सरकार नियमानुसार Non Creamy Layer (NCL) श्रेणी के अन्तर्गत ही हू।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता

नाम:

दिनांक:.....

VMOU, Kota के आवेदन में भरे गए

कार्यक्रम का नाम '.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता /करती हू कि पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित वर्ग OBC/SBC/MBC (NCL) के लिए आरक्षित श्रेणी में प्रवेश के लिए लाभ लेने के लिए पात्र हू। प्रवेश के पूर्व या पश्चात इस सत्यापन के मिथ्या पाए जाने की स्थिति में मेरे प्रवेश को निरस्त करने का विश्वविद्यालय को अधिकार होगा एवं शुल्क जम्बत करने का अधिकार होगा। मैं ऐसी कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/ होउगी जो विधि और नियमों के विरुद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहीता

नाम:

दिनांक:.....

स्थान.....

VMOU, Kota के आवेदन में भरे गए

कार्यक्रम का नाम '.....

**आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income
& Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र**

शपथ-पत्र

(वित्तीय वर्ष.....)

आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या

1. मैं पुत्र/पुत्री/पति/ श्री

निवासी

गांव/शहर

तहसील

जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैं राजस्थान के राज्य के लिये निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदण्डों को वित्तीय वर्षके लिये अर्हाता रखता/रखती हूँ। मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आठ लाख रु से कम है।

2. मुझे उपखण्ड अधिकारी.....जिला.....द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये Income & Asset Certificate क्रमांक.....दिनांक.....जारी किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता/नियुक्ति/चयन रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंगा जो विधि और नियमों के विरुद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

34